

26/8/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिकी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-75/2024-25

सुनिल कच्छप,.....आवेदक।

बनाम

परितोष लकड़ा..... विपक्षी।

आदेश

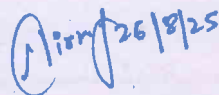
आवेदक सुनिल कच्छप, पिता-स्व० सुकरा उराँव, निवासी ग्राम-मोरहाबादी, सिंदवर टोली, थाना-बरियातु, जिला-राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक द्वारा विपक्षी परितोष लकड़ा पिता-स्व० बितना लकड़ा निवासी ग्राम-मोरहाबादी, सिंदवर टोली, थाना-बरियातु, जिला-राँची के विरुद्ध यह वाद लाया गया है। तत्पश्चात् विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा विपक्षी उपस्थित हुए एवं कारणपृच्छा दाखिल किये।

जमीन का विवरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता नं०</u>	<u>प्लॉट नं०</u>	<u>रकबा</u>
मोरहाबादी	192	83	29	10 डिसमिल

विपक्षी अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि खतियानी रैयत महादेव उराँव के पुत्र सुकरा उराँव से भूमि सुधार, उप-समाहर्ता, राँची के न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए हैं, जिसका अनुमति वाद सं०-255 R8 II/1979-1980 है तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद निबंधित पट्टा करवाये हैं। जिसका बुक-1, वाल्युम सं०-57, पेज सं०-555 से 560 पट्टा सं०-7853 है तथा अंचल में म्यूटेशन करवाकर लगान रसीद निर्गत है।

आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं बताया गया कि यह केस मैंने नहीं किया है बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर वर्णित भूमि पर केस किया गया है। आवेदक दिनांक-26.08.2025 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर

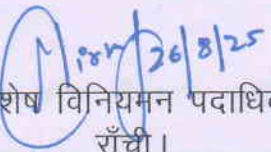
 26/8/25

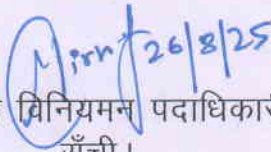
कृ०पृ०उल्ले

तथा आवेदन देकर यह बात कहते हैं कि वाद सं०-75/2024-25 के आवेदन को खारिज किया जाए।

अतः आवेदक के आवेदन को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह वाद आवेदक द्वारा नहीं लाया गया है। अतः आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।


विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

नाम	पद	नाम	पद	नाम
अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक

